

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F 26 (4) () / AS-SC/IEC/ICDS/2013/

52641-673

जयपुर दिनांक :

3.4.2017

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषय:- आशा-सहयोगिनी के आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थिति बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पूर्व आदेश क्रमांक एफ11(3)/मो0/आईसीडीएस/मां0/2013/65035
दिनांक 17.05.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

- A. आशा-सहयोगिनी प्रत्येक कार्य दिवस को आंगनबाड़ी केन्द्र पर केन्द्र खुलने के समय उपस्थिति दर्ज करायेगी तथा उपस्थिति दर्ज करने के उपरान्त आईसीडीएस व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्य सम्पादन हेतु फील्ड में जायेगी। इस हेतु आशा-सहयोगिनी के लिए पूरे समय आंगनबाड़ी केन्द्र पर रुककर सेवा देने की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- B. मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन आशा-सहयोगिनी का पूरे समय आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
- C. यदि किसी लाभार्थी महिला की चिकित्सा देखभाल/रैफरल की परिस्थिति में साथ जाने पर आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आने में असमर्थ हो तो अपनी पर्यवेक्षक को दूरभाष पर सूचित करेंगी।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

जयपुर दिनांक :

3-4-2017

क्रमांक : F 26 (4) () / IEC/ICDS/2016-17/

52674-981

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर
2. निदेशक-आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त को भेजकर लेख है कि संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने स्तर से परिपत्र से अवगत कराने का श्रम करें।
4. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल, आईसीडीएस को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, आईसीडीएस

(सोमेश्वर देवड़ा)

(सोमेश्वर देवड़ा)

सहायक निदेशक (आईसीडीएस),

समेकित बाल विकास सेवाएँ,

राजस्थानजयपुर